न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग)राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

कदमा नं0 55/2023

ासीन पुत्र उम्मेद जाति मेव निवासी दोरक्खी तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह
रियाणा

प्रार्थी

बनाम

1. अमजद पुत्र इस्माईल जाति मेव निवासी दोरक्खी तहसील फिरोजपुर झिरका
2. समसू पुत्र भोडा जाति मेव निवासी वीवा तहसील फिरोजपुर झिरका
3. शेरसिंह पुत्र रामचन्द जाति गुर्जर निवासी कस्बा पहाडी तहसील पहाडी
4. तौफीक पुत्र कासिम जाति मेव निवासी खेडलीगुमानी तहसील कामां
5. श्रीमान तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक पहाडी,
6. ताहिर हुसैन पुत्र सुबान खां जाति मेव निवासी बामनी तहसील कामां
7. ताहिर हुसैन पुत्र बालमुकन्द जाति मेव निवासी ऊंचेडा तहसील कामां
8. खलील पुत्र इब्राहीम जाति मेव निवासी समधारा तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री सतीश बुन्देला वकील प्रार्थी
2. श्री बलबन्त सिंह वकील अप्रार्थीगण संख्या 1,6,7,8
3. श्री प्रहलाद सिंह वकील अप्रार्थीगण संख्या 2,3,

दिनांक:-30/05/2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 393/0.42, 394/0.24,

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

395/0.40, 397/0.05, 410/0.38, 409/1.13 हैक्टर बांके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी में स्थित हैं आराजी मुतदाविया प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मलित खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है आराजी मुतदाविया का सम्मलित खाता होने की वजह से काश्त करने में परेशानी रहती है तथा अप्रार्थीगण सायल की कब्जे काश्त की भूमि में आये दिन मजाहमत व मदाखलत करते रहते है इसलिए अब सम्मलित काश्त करना संभव नहीं रहा है अप्रार्थीगण ने दिनांक 10/05/2023 को ग्राम पहाडी में धमकी दी है कि आराजी मुतदाविया को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करके रहेगे यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जरे नकद से कदापि संभव ना हो सकेगी। प्राईमा फैसाई केस , सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे विभाजन कराये विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल नही करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये । अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 410 के सहकाश्तकार अरसीदा पत्नि ताहिर को पक्षकार मुुकदमा नहीं बनाया गया है और ना ही खसरा नम्बर 409/1.13 के सहकाश्तकार अरसीदा के साथ-साथ हरि पत्नि अयूब , रेशमी पत्नि होशियार को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो कि खिलाफ कानून है। इस विनाय पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर410के सहाकाश्तकार अरसीदा पत्नि ताहिर को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही खसरा नम्बर 409 के सह काश्तकार अरसीदा के साथ-साथ हरि पत्नि

अधिकारी
(डीग)

अयूब , रेशमी पत्नि होशियार को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण संख्या 4 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर410के सहाकाश्तकार अरसीदा पत्नि ताहिर को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही खसरा नम्बर 409 के सह काश्तकार अरसीदा के साथ-साथ हरि पत्नि अयूब , रेशमी पत्नि होशियार को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण संख्या 6,7,8 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से खरीद की थी परन्तु प्रार्थी द्वारा गलत तरीके से अदालत से स्थगन आदेश लेकर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान किया जा रहा है तथा प्रार्थी बयनामा का नामान्तकरण रोकने हेतु अदालत में पेश किया गया है। इसलिए जारी स्थगन खारिज फरमाया जावें। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाय जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण:- प्रथम दृष्टया प्रकरण में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है एवं अप्रार्थी संख्या 6,7,8 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 जरिये बयनामा खरीद की है परन्तु प्रार्थी द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही रोकने हेतु न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का आराजी में हित निहित है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

2. सुविधा सन्तुलन:-:- प्रथम दृष्टया प्रकरण में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है एवं अप्रार्थी संख्या 6,7,8 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 जरिये

यनामा खरीद की है परन्तु प्रार्थी द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही रोकने हेतु न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का आराजी में हित निहित है। अतः असुविधा भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

3. अपूरणीय क्षतिः- प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण मंे निहित है। अतः अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है किः-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15/05/2023 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).